झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

संकल्प

जल संसाधन विभाग द्वारा कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नहर प्रणालियों सहित, बाँध, बराज, वीयर, इत्यादि तथा लघु सिंचाई की संरचनाओं का निर्माण लगातार किया जा रहा है। विगत वर्षो के दौरान काफी संख्या में पुरानी सिंचाई प्रणालियों का जीर्णोद्धार करके उन्हें पुनः सिंचाई योग्य बनाया गया है एवं सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित की गई है।

2. विभाग द्वारा आगामी दिनों में सहभागिता सिंचाई प्रबंधन **(PIM)**, **GIS, PPMS (Project Planning & Monitoring System),** इत्यादि नई अवधारणाओं को विभाग में लागू किये जाने हेतु गंभीर प्रयास किये जा रहे हैं।

3. इन प्रगतियों को विभागीय पदाधिकारियों एवं विभागीय उपलब्धियों एवं अन्य सूचनाओं की जनसामान्य को जानकारी देने हेतु सार्थक विभागीय प्रयास की आवश्यकता है। साथ ही, विभिन्न प्रगतिशील कदमों को और उन्नयित करने हेतु लोगों के विचारों को जानने हेतु एक प्लेटफार्म की आवश्यकता विभाग को महसूस हो रही है।

4. इन सभी तथ्यों पर विश्लेषण एवं मंथनोपरान्त विभाग द्वारा सिंचाई के प्रक्षेत्र में उपलब्धियों को साझा करने हेतु एक त्रै–मासिक संवाद–पत्र (News letter) के प्रकाशन का निर्णय लिया गया है। इन संवाद पत्र का नाम 'झारखण्ड जल समाचार' (Jharkhand Water News) होगा एवं यह प्रकाशन त्रै–मासिक होने के साथ–साथ, इसका एक विशेष वार्षिक प्रकाशन भी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संकलित कर प्रकाशित किया जायेगा।

5. इस मासिक संवाद पत्र (News letter) के संकलन एवं प्रकाशन हेतु संपादक मंडल (Editorial Board) निम्नवत् गठित किया जाता है :–

5.1.	मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग, राँची –	**मुख्य संपादक**
5.2.	अधीक्षण अभियंता, नहर एवं नहर संरचना रूपांकण अंचल, जल संसाधन विभाग, राँची –	**संयोजक संपादक**
5.3.	कार्यपालक अभियंता, अग्रिम योजना प्रमण्डल, जल संसाधन विभाग, राँची –	**सह–संपादक**
5.4.	कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०–1, जल संसाधन विभाग, राँची –	**विशेष आमंत्रित सह संपादक**

6. **इस 'संपादक मंडल' के कार्य एवं दायित्व निम्नवत् होगे :–**

6.1. **संवाद** – पत्र (News letter) हेतु सामग्रियों के लिए विभाग, राज्य के अन्य विभाग एवं कृषकों में समुचित प्रचार–प्रसार;

6.2. प्रत्येक अंक में जल से संबंधित विभागीय तथा अन्य विभागों से सम्पर्क कर उनका संदेश/सामग्री प्रकाशित करने की जिम्मेवारी;

6.3. संवाद–पत्र के पृष्ठों एवं उस पर प्रख्यापित होने वाले संदेशों/सामग्रियों का निर्धारण एवं सूत्रीकरण;

6.4. संवाद–पत्र में केन्द्रीय अथवा अन्य राज्यों तथा देश–विदेश के अनुकरणीय कृत्यों का संकलन एवं प्रकाशन;

6.5. संवाद–पत्र का समुचित प्रचार–प्रसार करना एवं व्यय प्रतिपूर्त्ति हेतु प्रचार–सामग्रियों का व्यवस्था; एवं

6.6. संवाद–पत्र को रोचक, पठनीय एवं ग्राहय बनाने हेतु हर संभव उपाय करना।

7. जल संसाधन विभाग का यह संवाद–पत्र हिन्दी भाषा में होगा परन्तु इसमें तकनीकी एवं आवश्यक सामग्रियों के अंग्रेजी प्रकाशन या सुग्राहय अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध न होगा।

8. संवाद पत्र से संबंधित व्यय निम्नांकित बजटीय शीर्ष से वहन किया जाएगा :

(i) मुख्य शीर्ष–4701–मध्यम सिंचाई पर पूजींगत व्यय–उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य–लघु शीर्ष–796–जनजातिय क्षेत्र उपयोजना–उपशीर्ष–69–प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं सेमिनार–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–21–प्रचार/प्रसार/सेमिनार **(49S470180796690321)**

(ii) मुख्य शीर्ष–4701–मध्यम सिंचाई पर पूजींगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य–लघु शीर्ष–003–प्रशिक्षण–उप शीर्ष–69–प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं सेमिनार–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–21–प्रचार/ प्रसार/सेमिनार **(49S470180003690321)**

मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग, राँची के अधीन कार्यपालक अभियंता, अग्रिम योजना प्रमण्डल, जल संसाधन विभाग, राँची इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

9. प्रभारी विकास शाखा द्वारा मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना की अधियाचना के आधार पर इस कार्य से संबंधित व्यय हेतु आवश्यक आवंटन उपलब्ध कराया जायेगा।

संकल्प में निर्दिष्ट बिन्दुओं पर अनुपालन निर्गत तिथि से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :—1/पी०एम०सी०/विविध/916/2019—992 राँची/दिनांक —02:08:2019

प्रतिलिपिः—माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ कृपया।

2.8.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :—1/पी०एम०सी०/विविध/916/2019—992 राँची/दिनांक —02:08:2019

प्रतिलिपिः—राज्य के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेशित।

2.8.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :—1/पी०एम०सी०/विविध/916/2019—992 राँची/दिनांक —02:08-2019

प्रतिलिपिः—अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/अभियंता प्रमुख—I एवं II के निजी सहायक, जल संसाधन विभाग, राँची/सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/विशेष सचिव के निजी सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/सभी उप सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/उप सचिव (अभि०)—सह—प्रभारी विकास शाखा, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेशित।

2.8.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव